26/8/19 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 11/10/19 को पेश हो

11.10.19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। बहस आंशिक सुनी गई। पत्रावली 24.10.19 को वास्ते आदेश पेश हो।

24.10.19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगणों का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 CPC खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल आवेदन अ. धा. 251 (A) RTA के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद * मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– प्रार्थना–पत्र / 27 / 2016

1. रामनिवास उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. बालूराम
2. प्रहलाद उम्र 33 वर्ष पुत्र स्व. बालूराम
3. बाबूलाल उम्र 27 वर्ष पुत्र स्व. बालूराम
4. शारदा उम्र 31 वर्ष पुत्री स्व. बालूराम
5. भंवरी देवी उम्र 58 वर्ष पत्नी स्व. बालूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी स्वंय ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर
–प्रार्थीगण

**बनाम**

1. रमा देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी धीसालाल जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर, वार्ड नं. 23, सीकर, तहसील व जिला सीकर
2. शुभम उम्र 25 वर्ष दत्तक पुत्र धीसालाल जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर, वार्ड नं. 23, सीकर, तहसील व जिला सीकर
3. अंजू उम्र 45 वर्ष पुत्री धीसालाल पत्नी नरोतत जाति ब्राह्मण निवासी शीतला का बास, सीकर, तहसील व जिला सीकर
4. गुलाबचन्द कुमावत पुत्र भंवरलाल जाति कुमावत निवासी राणी सती रोड, संतोषी माता का मंदिर के पास, वार्ड नं. 25, सीकर, तहसील व जिला सीकर
5. धीसू देवी पत्नी प्रकाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी राणी सती के पीछे, बींवाल संदन, सीकर, तहसील व जिला सीकर
6. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
7. हल्का पटवारी, पटवार हल्का दूजोद तहसील धोद जिला सीकर
8. तहसीलदार, धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार
–अप्रार्थीगण

स्थगन आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–

1. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से

**–:आदेश:–**

दिनांक– 24.10.2019

01. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं दावे के प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 की कृषि भूमि खसरा संख्या 919 रकबा 12.27 हैक्टियर खसरा संख्या 931 रकबा 7.76 हैक्टियर, खसरा संख्या 918 रकबा 0.02 हैक्टियर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं दावे के प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 के मध्य, मौका

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

पर विभाजित कृषि भूमि है अर्थात इन कृषि भूमियों में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं 5 के पति बालूराम 1/6 हिस्सा के एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के पिता व 12 के पति भीवा 1/6 हिस्सा के एवं प्रतिवादी संख्या 13, 1/6 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 14, 1/2 हिस्सा के सहखातेदार रहे है। इस कृषि भूमि को आवेदन के संलग्न मानचित्र में वर्णित नजरी नक्शा में क्रमश 1 लगायत 10 से दिखाया गया है। उक्त नजरी नक्शा आवेदन का ही अभिन्न अंग है। नजरी नक्शा में वर्णित भूमि क्रम संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की भूमि खसरा संख्या 919 एवं क्रम संख्या 2 व 3 की भूमि खसरा संख्या 931 का भाग है जिनमें से क्रम संख्या 6 व 10 से दर्शायी भूमि, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त हक अधिकार की भूमि हैंजिनमें मानचित्र मे वर्णित क्रम संख्या 6 की भूमि में प्रार्थीगण ने पक्के आवासीय मकानात बना रखे हैं तथा वही पर आवास निवास करते है। नजरी नक्शा में वर्णित लाल रेखाओ के मध्य उत्तर से दक्षिण सीकर से हर्ष की तरफ जाने वाला सड़क मार्ग है तथा प्रार्थीगण की कब्जा हक अधिकार की, नजरी नक्शा में क्रम संख्या 10 पर अंकित भूमि के पूर्व साईड में, सीवाजोड खसरा संख्या 927 की कृषि भूमि है जिसकी खातेदारी वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन का स्थायी व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण का अस्थाई तौर पर आवागमन खसरा नम्बर 927 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे, आवेदन के साथ संलग्न मानचित्र में बउक्षर एबीसीडी के मध्य से, नजरी नक्शा में अंकित क्रम संख्या 10 की भूमि में आवागमन होता है व क्रम संख्या 10 की भूमि में से क्रम संख्या 6 की भूमि में, प्रार्थीगण अपने मकानों में चले जाते है। इस रास्ता के अलावा क्रम संख्या 6 व 10 की भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग अवस्थित नहीं है। नजरी नक्शा में बअक्षर ABCD से दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता सीकर हर्ष जाने वाले सड़क मार्ग से, प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन का निकटतम रूट है। अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने, कृषि यन्त्र लाने ले जाने, पशुधन लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण को इस नया रास्ता की "अत्यान्तिक" आवश्यकता है। बअक्षर ABCD के मध्य, रास्ता हेतु चाही गई भूमि से आवागमन को निर्माण करके अवरूद्ध करने की अप्रार्थी 1 लगायत 5 एहलानिया धमकी दे रहे है। जबकि प्रार्थीगण बअक्षर ABCD के मध्य 25 फिट चौडा रास्ता में आने वाली भूमि की नियमानुसार प्रतिकर राशि अदा करने हेतु तत्पर व तैयार है। फिर भी खसरा संख्या 927 के खातेदारान/अनावेदकगण रास्ता देने से इन्कार कर रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को कृषि भूमि खसरा संख्या 927 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 25 फिट चौड़ा नया रास्ता दिलाया जाना प्रार्थीनीय है। प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया मामला सुद्रढ है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूणीय क्षति भी प्रार्थीगण की ही होती है। अतः आवेदन उचित न्याय शुल्क पर मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रतिप्रबंधित फरमाया जावें। कि मूल प्रार्थना पत्र के निपटारे तक कृषि भूमि खसरा नं. 927 रकबा 0.39 है. वाके ग्राम दूजोद में निर्माण नही करे, आवागमन में बाधा नही डाले तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 बावजूद तामील (जरिये रजिस्टर्ड डाक) अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेखित कथनों को दोहराया। यह कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ

उपखण्ड अधिकारी
दोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की ही होती है। अतः प्रार्थी के पक्ष में ही टी.आई जारी कर अप्रार्थीगण को रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तादौराने मूल प्रार्थना–पत्र अ.धारा 251–ए आरटीए प्रतिबंधित किया जावे।

04. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। टी. ए. की धारा 212 के तहत टी.आई. जारी करने हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का प्रार्थीगणों के पक्ष में होना जरूरी है :–

(1) प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगणों का मूल आवेदन पत्र टी.ए. की धारा 251 ए का है जिसमें प्रार्थीगणों ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 927 वाके ग्राम दूजोद में से कीमतन नवीन रास्ता कायम करने की मांग की है। टी.ए. की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने से पूर्व रास्ते की यात्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का उपलब्ध नही होना, चाहा गया रास्ते का लघुत्तम होना आदि बिन्दुओं की जांच किया जाना अति आवश्यक होता है। विचाराधीन प्रकरण में भी उपर्युक्त बिन्दुओं की सम्पूर्ण जांच के पश्चात् मुल आवेदन के अन्तिम निस्तारण के समय ही यह तय किया जा सकेगा, कि प्रार्थीगण की मांग कानून के अनुसार सही है अथवा नही ? उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों का अप्रार्थीगणों के विरूद्व प्रथम दृष्ट्या मामला स्वतः प्रमाणित नही है।

(2) सुविधा का सन्तुलन :– विवादित भूमि खसरा नं. 927 वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम पर दर्ज है इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगणों के पक्ष में है।

(3) अपूर्णीय क्षति :– विवादित आराजी के वर्तमान में अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है, जिनके विरूद्व यदि बेचान/रहन आदि की टी.आई. जारी की जाती है, तो उनको अपूर्णीय क्षति कारित होगी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पृथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगणों के पक्ष में साबित नही है। अतः प्रार्थीगणों का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल आवेदन अ.धारा 251(ए) आरटीए के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.14 12:47:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: